रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –9 ● कानपुर 1 से 15 मई 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 का

45 वाँ स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक सम्पन्न

डा0 बाजपेई के दिवंगत होने के कारण इस बार कार्यक्रम बड़ी सादगी के साथ मनाया गया

दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में अग्रिम कार्यवाही करने का निश्चय किया गया था जिसमें डा0 डी0 के0 पाल, डा0 वी0 कुमार, प्रोफेसर डा0 शर्मा तथा डा0 अजीत सिंह प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए तथा अपने विचार दिये थे, इसे संयोग ही कहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देश पर भारत सरकार ने संशोधित संयुक्त प्रपोज़ल देने के लिए 22 अप्रैल की तिथि ही निश्चित की है, प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रपोज़ल में लगभग सभी प्रस्तावक सम्मिलित हुए तथा आपसी सहमति के साथ प्रपोज़ल को अन्तिम रूप देते हुए सरकार को प्रस्तुत किया, अब देखना यह है कि हमारे साथी कितना संयम रखते हैं कि भविष्य की जानकारी के लिए अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि सन्दर्भित पत्र दिनांक 26 मार्च, 2019 अनावश्यक पत्र व्यवहार की ही उपज है और सरकार वांछित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्ड जो सन् 1991 व 1993 में थे उनमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया है हम ऐसा समझते हैं कि यह अनावश्यक पत्र व्यवहार का ही कारण है कि उन मापदण्डों में आज तक कोई पूर्ति सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है जबकि 1991 से 2019 तक 30 वर्ष का एक लम्बा समय गुजरा है और इस अवधि में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मे जमीनी स्तर पर बहुत कार्य हुआ है जिसे सरकार द्वारा स्वीकार न करना इस बात का द्योतक है कि हम खण्ड खण्ड में जब सरकार से अनावश्यक पत्र व्यवहार करते हैं तो हमारे मानसिक स्तर का आंकलन सरकार द्वारा सहजता से कर लिया जाता है और इसी का परिणाम है कि जो मापदण्ड 1991 / 1993 में थे उनमें आंशिक पूर्ति भी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है, सम्भव है कि वर्तमान संशोधित संयुक्त प्रपोज़ल में सरकार को कुछ ऐसा लगे कि वह इस बार स्वीकार कर ले।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने कहा कि इन 44 वर्षों में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैं तो प्रारम्भ से ही बोर्ड से जुड़ा हूँ इसलिए बोर्ड की हर गतिविधि का मैं साक्षी हूँ आज हमें गर्व है कि डा0 इदरीसी के नेतृत्व व डा0 शाहीना इदरीसी की दूरदृष्टि के कारण आज बोर्ड भारत वर्ष का एक मात्र शासकीय आदेश प्राप्त संगठन है, हम अपेक्षा करते हैं कि यह दम्पति इसी सूझबूझ के साथ बोर्ड की प्रगति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

डा0 अहमद ने अपनी भावी रणनीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 भारत सरकार द्वारा वांछित ऐच्छिक मापदण्ड पर गम्भीरता से विचार कर रहा है उन्होंने कहा कि बोर्ड की वार्षिक आम सभा में भी इस विषय पर बड़ी गहनता और गम्भीरता से विचार किया गया है इस सम्बन्ध में मैने कमेटी को एक सुझाव भी दिया है कि वह एक विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन कर पाठ्यक्रम का संशोधन कर उच्चीकरण करे जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के स्नातक व स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम से कम न हो, उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही शिक्षा समिति की बैठक आहुत कर इस पर गम्भीरता से विचार कर इसे पूर्ण किया जायेगा यदि आवश्यक हुआ तो सम्बन्धित संस्थानों का भ्रमण भी किया जायेगा।

डा0 अहमद ने आशा व्यक्त की कि संशोधित सयुक्त प्रपोज़ल कर्ताओं ने भी इस विषय पर आपसी सहमति के साथ कुछ कार्य अवश्य किया होगा यदि उन्होंने ऐसा किया हो तो हम अपेक्षा करते हैं कि वह हमें अवश्य बतायेंगे जिससे हम अपने कार्यक्रम में समाहित कर सकें।

कार्यक्रम को दिशा देते हुए बोर्ड की विशेष कार्याधिकारी श्रीमती शाहीना इदरीसी ने अपने बोर्ड के साथियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि डा0 अतीक अहमद व डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने जिस श्रम से बोर्ड को ऊचाईयाँ दी हैं यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

कार्यक्रम को विचार देते हुए डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि समय के साथ कैसे कार्य किया जाता है यह मैने डा0 इदरीसी से सीखा है और कामना करता हूँ कि डा0 इदरीसी के नेतृत्व में कार्य करते हुए बोर्ड के साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेगी तथा इसके चिकित्सक भी वह सम्मान प्राप्त कर सकेंगे जैसा अन्य चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों प्राप्त है।

डा0 मिश्रा ने यह कहा कि हम सदैव प्रयासरत रहते है कि चिकित्सको को स्थानीय पंजीयन चाहे वह चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित हो या प्रदूषण विभाग अथवा किसी अन्य विभाग से उसमें हम प्रत्येक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक को संरक्षण दे सकें, उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य सबका साथ – सबका विकास है, हम आशा करते हैं कि डा0 इदरीसी के नेतृत्व में हम अपने उद्देश्य की पूर्ति अवश्य करेंगे।

डा0 मिश्रा भावुक होकर डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी को याद करते हुए कहा कि जो सपना डा0 बाजपेयी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए देखा था वह अवश्य पूरा किया जायेगा उन्होंने 44 वें स्थापना दिवस के अवसर पर एवान–ए–ग़ालिब हाल नई दिल्ली में जो उद्गार व्यक्त किये थे वह आज भी मुझे स्मरण हैं।

स्थापना दिवस के अन्य समाचार पेज 4 पर भी

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के 45वें स्थापना दिवस पर आये हुये अतिथियों एवं चिकित्सकों को सम्बोधित करते हुये डा0 एम0 एच0 इदरीसी (चेयरमैन–B.E.H.M.U.P.) इनके ठीक बगल में बैठी हुयी बोर्ड की O.S.D. श्रीमती डा0 शाहिना इदरीसी –छाया गज़ट

इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगातार मज़बूती की तरफ बढ़ते हुए मान्यता को प्राप्त करे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम निरन्तर प्रयासशील हैं और सफलता हमें मिलेगी इसके लिए हम आश्वस्त भी हैं।''

यह विचार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने बोर्ड के प्रशा0 कार्यालय, जूही, कानपुर में बोर्ड के 45 वें स्थापना दिवस के अवसर पर व्यक्त किये, डा0 इदरीसी ने कहा कि धीरे–धीरे आज हम 45 वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं जितने वर्ष बीतते जा रहे हैं हम समझते हैं कि हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है, हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें शीघ्र से शीघ्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विनियमतीकरण करें जिससे कि इस विधा के चिकित्सकों को भी वह सम्मान मिल सके जो अन्य मान्यता प्राप्त पद्धतियों के चिकित्सकों को प्राप्त हैं।

डा0 इदरीसी ने आगे कहा कि मान्यता की राह में वर्तमान प्रचलित पाठ्यक्रम प्रभावित कर रहे हैं इस विषय को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है क्योंकि अन्तर विभागीय समिति द्वारा जो ऐच्छिक मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं उसमें इस विषय की प्रमुखता है, उन्होंने ने कहा कि हम अपने उन साथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिनका सहयोग और समर्थन हमें समय समय पर मिलता रहा है, हम अपेक्षा करते हैं कि पूर्व की भांति हमें सबका सहयोग व स्नेह प्राप्त होता रहेगा, डा0 इदरीसी ने आगे कहा कि आज 24 अप्रैल को हम यह आयोजन मना रहे है आज से ठीक दो दिन पहले अर्थात 22 अप्रैल,को हमारे साथियों द्वारा सरकार द्वारा वांछित एवं संशोधित प्रपोज़ल मान्यता हेतु प्रस्तुत किया है काफी विचार विमर्श के बाद यह प्रपोज़ल आपसी सहमति से सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तैयार किया गया है हम आशा करते हैं कि साथियों की मेहनत अवश्य सार्थक होगी।

ज्ञातव्य हो कि गत वर्ष 2018 में भी 22 अप्रैल को ही गांधी पीस फाउन्डेशन नई

आखिर लोग विचलित क्यों हैं ?

इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े लोगों को हर, साल दो साल में विचलित होने का अवसर प्राप्त होता रहता है।

सदैव कोई न कोई ऐसा कारण बन ही जाता है जब इससे जुड़े व्यक्ति विचलित होने लगते हैं, देखा जाये तो विचलित होने का अपना एक इतिहास है कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हैं 1998 में जब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया और इस आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कुछ निर्देश जारी किये गये, उनमें से कुछ निर्देश यह हैं जैसे डिग्री, में प्रतिबन्ध ! लोग इससे विचलित हो गये !! डाक्टर शब्द लिखने पर विचार, लोग इसपर भी विचलित !!! 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार का आदेश आया लोग विचलित के साथ–साथ भयभीत भी हो गये, 5–5–2010 को स्पष्टीकरण आया लोग विचलित हो गये , 21 जून, 2011 का आदेश आया लोग विचलित हो गये, और तो और लोग यह कहने लगे कि यह आदेश तो इहमाई वालों के लिए है हमारा क्या होगा ?4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी कर दिया, आदेश उत्तर प्रदेश के लिए था परन्तु विचलित पूरा देश हो गया लोगों में नाना प्रकार की आशंकायें जन्म लेने लगीं कि अब यह तो उत्तर प्रदेश में एकाधिकार जमायेंगे।

2 सितम्बर, 2013 को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने समस्त अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र लिखकर 4 जनवरी, 2012 को जारी शासनादेश के परिचालन का पत्र लिखा लोग फिर से विचलित हो गये, 14 मार्च, 2016 को निदेशालय ने पत्र जारी किया लोग पुनः विचलित होने लगे, जब 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस क्या जारी किया तब तो पूरा देश ही विचलित हो गया।

तरह–तरह की कार्यवाहियां हो रही हैं, रोज़ बैठकों का दौर चल रहा है, मांगने और देने का सिलसिला जारी है, इसकी आड़ में कहीं–कहीं उगाही भी हो रही है, पूरे देश में ऐसी उहापोह मची है, जैसे कि कुछ अनिष्ट की आंशका है।

लेकिन ज़्यादा विचलन ठीक नहीं होता है क्योंकि जब मन विचलित होता है तो इसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है जिससे कि कार्य प्रभावित होता है, सरकार द्वारा हमें जो कुछ भी मिलता है उसके पीछे कहीं न कहीं हम सब होते हैं, पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का पूरा अवसर है, परन्तु हम तो ठहरे मानव हमें जो भी मिलता है हम उससे ज़्यादा पाना चाहते हैं इसलिए सरकार से इतना पत्र व्यवहार कर देते हैं कि सरकार को हिलना ही पड़ता है इसके लिये चाहे हमें बारम्बार न्यायालय के चक्कर ही क्यों न लगाना पड़े! हमारी मांग लगातार यही रहती है कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करे और इस मांग में हम यह भूल जाते हैं कि सरकार को मान्यता देने में अपने कुछ मापदण्ड होते हैं, इन मापदण्डों को पूरा करने के बाद ही हम मान्यता का स्वाद चख सकते हैं।

सरकार ने यह तो वादा नहीं किया कि मान्यता देंगे यह ज़रूर कह दिया कि सरकार एक अधिशासी आदेश पारित करेगी और इस आदेश को पाने के लिए सरकार ने एक नोटिस जारी किया इस नोटिस के माध्यम से सरकार ने पूरे देश की इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति जाननी चाही है सरकार को यह पता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं इसलिए सरकार ने अपेक्षा की है कि अच्छा होगा यदि अलग–अलग प्रतिवेदनों के स्थान पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये और सरकार उस प्राप्त प्रतिवेदन पर विभिन्न कोणों से विचार करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कोई दिशा तय कर सके। इसके लिए सरकार ने 26 मार्च 2019 को पुनः एक पत्र जारी कर संशोधित संयुक्त प्रपोज़ल की मांग की है हांलाकि यह पत्र माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के एक आदेश से सम्बन्धित है, सरकार ने इस पत्र में एक तीर से दो निशाने साधे है सरकार सदैव यह चाहती है कि देश में कोई भी सेवा अनियन्त्रित न रहे चाहे वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही क्यों न हो, देश में कानून का राज्य है इसलिए नियन्त्रण न होने के बावजूद भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपनी गति से कार्य कर रही है जिसका स्वरूप भी विधि सम्मत है अब हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शीर्ष नेताओं को चाहिये कि वह विशेषज्ञों से सलाह करते हुए इसको निस्तारण की तरफ ले जायें।

21 जून, 2011 का आदेश ही समस्या का अन्त

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का जो सिलसिला 1948 से शुरू हुआ था उसने 1988 में एक जांच समिति का रूप लिया जिसके परिणाम स्वरूप 1991 में जो कुछ भी सरकार ने कहा था वह आज भी अपने उसी रुप में है मान्यता की मांग का सिलसिला इस हद तक ज़ोर पकड़ा कि वह मान्यता के लिए कानून बनाने के बजाए एक अर्धशासकीय आदेश में सिमट गया और सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकन्जिम के लिए जो नोटिस जारी किया उसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं /संगठनों ने इस प्रकार प्रदर्शित किया मानो बहुत बड़ी समस्या खडी हो गयी हो और इस तरह की समस्या खड़ी कर दी जो सीधा साधा नोटिस था उसे ही समस्याग्रस्त कर दिया। सरकार के कई अवसर मिलने के बाद भी उसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है, स्थिति यह हो गयी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जब भी कहीं कोई बात चलती है तो समस्याओं की चर्चा अपने आप ही होने लगती है तब यह लगने लगता है कि समस्यायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्ता–धर्ताओं में ! समस्यायें कहाँ नहीं होती हैं ?तो इसका उत्तर आयेगा जब तक जीवन है और जीवन में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है तो समस्याओं से हमारा सामना तो होता ही रहेगा लेकिन समस्याओं से डर कर हम अपनी दिशा ही बदल दें या लक्ष्य से भटक जायें तो यह किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, यदि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्याओं पर गम्भीरता पूवर्क विचार करें तो एक बात तो एकदम स्पष्ट हो ही जाती है कि समस्यायें पद्धति में हैं या पद्धति में नहीं हैं अपितु समस्याओं की जड़ में हमारी अधकचरी सोच है सब कुछ पाने के बाद भी कुछ न पाने जैसा व्यवहार करना ! यह किस बात का प्रदर्शन है ?यह समझ से परे है, पिछले कुछ वर्षो से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा वर्ग ज़्यादा सक्रिय हो गया है जिसका विश्वास कर्म से ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर लेने में है और अधिकार भी व्यक्तिगत होने की लालसा रखता है, यही एकमात्र कारण है जो समय लम्बा खिंचता जा रहा है और समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, कभी–कभी तो ऐसा लगने लगता है कि क्या यह अन्तहीन समस्यायें हैं ?तभी मन कहता है कि ऐसी कोई समस्या अभी तक पैदा ही नहीं हुयी जिस समस्या का समाधान न हो और समाधान में अस्तु , किन्तु और परन्तु का कोई स्थान होता ही नहीं है। देखा जाये तो अब समस्या है ही कहाँ ! जो भी समस्यायें हम देख रहे हैं वे सारी की सारी हमारे द्वारा ही उपजी हैं, अगर हम मन से स्थिर हों जायें और स्वयं पर विश्वास करने लगें तो शनै–शनै समस्यायें स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी, स्वयं द्वारा निर्मित कुछ समस्याओं पर इस लेख के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है अधिकार पूवर्क प्रैक्टिस करने की यह कोई समस्या नहीं है– 21 जून, 2011 का आदेश राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अधिकार देता है, 04 जनवरी 2012, 02 सितम्बर 2013, 14 मार्च 2016 हमें प्रदेश में अधिकार पूवर्क कार्य करने के पूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं, अब जब हम स्वयं ही इन अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहतें हैं तो किसी का क्या दोष ?न्यायालय का आदेश है जिसपर शासन की मुहर भी है कि जो चिकित्सक प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाकर अपनी योग्यता, अर्हता एवं पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित अधिकारी को देनी है, जिसे आम भाषा में सी0 एम0 ओ0 पंजीयन का नाम दिया गया है इससे ही हम करायेंगे तो समस्यायें तो जन्म लेंगी ही ! अब इसी विषय को लेकर व्यर्थ का विवाद करना कहाँ की समझदारी है ?

दूसरी सबसे बड़ी समस्या है और यही समस्या सारी समस्याओं की जननी भी है यह समस्या है संस्थाओं के संचालन की, 25 नवम्बर, 2003 का आदेश आने से पहले प्रदेश में लगभग 3 दर्जन शीर्ष संस्थायें और लगभग तीन सैकड़ा से भी अधिक विद्यालय संचालित हो रहे थे अब अधिकार किसी एक संस्था के पास निहित है बाकी अधिकारों के लिये परेशान हैं, यह समस्या भी कोई समस्या नहीं है, देश में लोकतंत्र है हर व्यक्ति को कार्य करने का पूर्ण अधिकार है, वर्ष 2004 में न्यायालय का एक आदेश आया कि चिकित्सा प्रमाणपत्र देने वाली सभी संस्थायें अपने पंजीयन का आवेदन शासन में करें अब हर एक संस्था संचालक के पास सुनहरा अवसर था कि शासन में पंजीयन हेतु आवेदन करता और आदेश प्राप्त कर लेता फिर अधिकार पूर्वक कार्य करता ऐसे में समस्या कहाँ थी लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया और अपने लिये स्वयं ही समस्यायें पैदा कर लीं, जो लोग व्यर्थ का प्रलाप करते हैं कि सरकार हमें कोई अवसर नहीं दे रही है ऐसे लोग भोले–भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथों को दिशाभ्रमित कर रहे हैं, सरकार किसी से भेद– भाव नहीं करती है हर एक को कार्य करने का पूर्ण अवसर प्रदान करती है आप ही अवसर लेना न चाहें तो कोई क्या करेगा देश और प्रदेश में कार्य करना है तो प्रचलित कानूनों का पालन तो करना ही होगा।

तीसरी समस्या है स्वयं को स्थापित करने की ! यह भी कोई समस्या की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि स्थापित होने के लिये कार्य करके स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता है यदि हमारा कार्य जनोपयोगी है तो हमारी पूछ स्वयं ही हो जायेगी, लोगों की जिज्ञासा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काम कर सकते हैं या नहीं तो उनके लिये एक ही उत्तर है कि 25 नवम्बर, 2003 काम करने की तो निदेर्शिका है, 05–05–2010 शंकाओं का समाधान है और 21 जून, 2011 भारत सरकार द्वारा जारी अधिकार पत्र है इसके उपरान्त भी कार्य कैसे करें ?यह पूछना समस्याओं को जन्म देने जैसा ही है। किसी ने होम्योपैथी, सिद्धा और सोवा रिग्पा जैसी

शेष पेज 3 पर

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के 45 वें स्थापना दिवस पर अपने विचार देते कानपुर के डा0 ब्रह्म दत्त दीक्षित –छाया गज़ट

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक E.H.Dr. लिखें – डा0 अतीक अहमद

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 का 45 वाँ स्थापना दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक सम्पन्न हुआ, इस अवसर पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने **B.E.M.S.** डिग्री प्रमाण पत्र पर **IDC** की प्रतिक्रया पर चिन्ता व्यक्त की, इससे पूर्व माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी 18 नवम्बर, 1998 को एक जनहित याचिका संख्या 4015/96 में केन्द्र सहित सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्या के समाधान के लिए कानून बनाने के लिए निर्देश दिये थे, इसमें यह भी निर्देशित किया गया था कि **Respondents 10 to 16 and the like institutes shall not award any degree for the courses conducted by them.** जबकि सरकार द्वारा कानून बनाने में कोई रूचि नहीं दिखायी गयी, एक अन्य वाद में केन्द्र सरकार द्वारा अपील की गयी थी जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जनहित याचिका में दिये गये आदेश को गम्भीरता से लिया, केन्द्र सरकार ने माननीय सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का पालन करने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जिसमें माननीय न्यायालय के कानून बनाने के निर्देशों की अनदेखी करते हुए मान्यता हेतु लम्बित प्रस्तावों को प्राथमिकता देते हुए समिति की संतुतियों को स्वीकार कर 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश जारी किया जिसमें राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि गैर मान्यता प्राप्त पद्धतियों को बैचलर व मास्टर डिग्री/डिपलोमा देने से रोका जाये तथा डा0 शब्द का प्रयोग केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा ही किया जाये, सरकार के इस आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाये इस आदेश का सम्मान करते हुए बोर्ड ने अपने डिपलोमा पाठ्यक्रमों को सार्टिफिकेट में परिवर्तित किया तथा चिकित्सकों को निर्देशित किया कि वह **Dr.** शब्द के बजाय **E.H.Dr.** लिखें, इसी समय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव, उ0प्र0 व अन्य लाम्बित था जिसमें चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से शासन/मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां पंजीयन कराना था।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ.प्र. के 45वें स्थापना दिवस पर डा. मिथलेश कुमार मिश्रा O.S.D. डा. श्रीमती शाहीना इदरीसी को माल्यार्पण करते हुये

प्रदेश में लगभग सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्थानों में उहापोह की स्थिति पैदा हो गयी थी जिसके कारण बिना सोचे समझे दर्जनों की संख्या में याचिकायें उच्च न्यायालय में योजित की गयीं जिसमें बोर्ड की याचिका को छोड़कर शेष सभी याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दी गयीं जिसमें एक केस ऐसा रिपोर्टेड हुआ जिसका दुष्प्रभाव अन्य राज्यों में भी पड़ा इस तरह उत्तर प्रदेश की समस्या पूरे देश की समस्या बन गयी, केन्द्र के इस 25 नवम्बर, 2003 के आदेश के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को निर्देश दिये गये जिसके परिणाम स्वरूप 21 जून, 2011 के आदेश का उदय हुआ जो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास की रीढ़ है।

बोर्ड द्वारा एक लम्बे अन्तराल के बाद 27 अप्रैल, 2014 को उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ के राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग में अपना 40 वाँ स्थापना दिवस समारोह भव्यता के साथ मनाने का निश्चय किया गया इस अवसर पर एक प्रास्पेक्टस का विमोचन भी किया गया था काफ़ी समय बाद देश के वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथ एवं संस्था प्रमुख उपस्थित हुए इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डा0 अनीस अन्सारी कुलपति ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की गौरवमयी उपस्थिति रही, इस अवसर पर कुछ संकल्प लिये गये जिसे घोषणापत्र के रूप में प्रकाशित भी किया गया था तथा यह भी निश्चय किया गया कि हर दो वर्ष में स्थापना दिवस समारोह के रूप में मनाया जायेगा।

विगत स्थापना दिवस समारोह 25 अप्रैल, 2016 को गंगाप्रसाद मेमोरियल हॉल अमीनाबाद, लखनऊ में आयोजित किया गया जिसमें उ0प्र0 सरकार के मंत्री माननीय राम आसरे कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सम्बद्ध संस्थानों आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट– रायबरेली, मां सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट– लखीमपुर तथा चाँद पार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट–आज़मगढ़ को सम्मानित किया गया, इसी अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जागरूकता अभियान के नायक श्री प्रमोद शंकर बाजपेयी जी (स्मृतिशेष) को भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मनीषी अंलकरण से विभूषित किया गया था, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बोर्ड सतत् प्रयासरत रहता है बोर्ड ने **G.E.H.S.** तथा **P.G.E.H.** के दो नये पाठ्यक्रमों का लोकार्पण अपने 43 वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोर्ड के कार्यालयों सहित सभी संस्थानों/अध्ययनकेन्द्रों में किया। बोर्ड एक निगमित निकाय है जिसका प्रबन्ध एक प्रबन्ध कमेटी द्वारा किया जाता है जिसमें 4 सदस्यों का चयन चिकित्सा क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों से, 2 सदस्यों का चयन बोर्ड द्वारा सम्बद्ध संस्थानों के शिक्षकों से तथा 3 सदस्यों का चयन बोर्ड द्वारा पंजीकृत चिकित्सकों से किया जाता है, प्रबन्ध कमेटी के अधीन शिक्षा समिति, परीक्षा समिति तथा पंजीयन समिति नियमित रूप से कार्य करती हैं।

गत वर्ष 21 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली स्थित एवान–ए–गालिब हाल ,माता सुन्दरी रोड(कम्बाइंड काउन्सिल भवन) में 44 स्थापना दिवस बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया था जिसमें केन्द्र सरकार से सेवा निवृत सहायक निदेशक डा0 बी0 बी0 जेना मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे।

भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए 28 फरवरी, 2017 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें 7 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी थी इसमें पाठ्यक्रम को प्रमुखतः दी गयी, बोर्ड ने सरकार द्वारा जारी नोटिस पर कोई कार्यवाही न करने का निश्चय किया क्योंकि भारत सरकार ने 21 जून, 2011 के आदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की स्थिति स्पष्ट कर दी है तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी बोर्ड के पक्ष में 4 जनवरी, 2012 का आदेश है, जिसके अनुपालन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने अपने आदेश दिनांक 2–9–2013 एवं 14–3– 2016 द्वारा समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 तथा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0 को अनुपालन हेतु निर्देशित किया है, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2018 को जारी 09–01–2018 की बैठक की कार्यवाही जो मान्यता के प्रपोजलों के निष्कर्ष में जारी की गयी है, से संकेत मिलता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैज्ञानिक आधार पर, कार्य के आकड़ों की जानकारी अनिवार्य हो गयी है, जैसा कि भारत सरकार ने अपने नवीनतम पत्र दिनांक 26 मार्च,2019 में उल्लेख किया है।

21 जून, 2011 का आदेश

पेज 2 से आगे

चकित्सा पद्धतियों की मान्यता के बारे में सरकार से प्रश्न किया कि इन पद्धतियों की मान्यता सरकार ने किन परिस्थितियों में दी है ? सरकार ने दो–टूक जवाब दिया हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसी तरह का एक प्रश्न कि डा0 लिखने का अधिकार किस–किस को है ?जवाब आया 25 नवम्बर, 2003 का अवलोकन करें।

यह सारे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि समस्यायें कहीं नहीं हैं 21 जून 2011 का आदेश आ जाने के बाद सारी समस्या स्वतः ही समाप्त हो गयी ।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 45वें स्थापना दिवस पर अपने विचार देते हुये बोर्ड की O.S.D. डा.श्रीमती शाहीना इदरीसी

45 वाँ स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न

अलीगढ़– स्थानीय ऐलमपुर रोड निकट सूतमिल मानव जन कल्याण समिति के कैम्पस कार्यालय पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया इकाई के मण्डल पर्यवेक्षक डा0 पी0 के0 राघव ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 लखनऊ नामक शीर्ष संस्था के स्थापना दिवसोत्सव के मौके पर डा0 काउण्ट सीजर मैटी की प्रतिमा पर दीप प्रजवलित कर पुष्प अर्पित किये तथा सभी चिकित्सक गणों ने क्रमवार पुष्प अर्पित किये।

ऐलमपुर रोड निकट सूत मिल स्थित मानव जन कल्याण शिक्षा समिति के कैम्पस कार्यालय पर आयोजित इस पावन मौके पर डा0 पी0 के0 राघव ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है।

भारत ही नही विश्व के अनेक देशों में यह चिकित्सा पद्धति प्रचलन में है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का आविष्कार सन् 1865 में इटली देश के बोलोग्ना शहर के निवासी डा0 काउण्ट सीजर मैटी ने संयुक्तः संयुक्तः समायतिः के सिद्धान्त पर किया था, इसकी औषधियां पूर्ण रूप से विषरहित, हानिरहित ,पादप जगत से निर्मित होती हैं।

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ्थक मेडिसिन उ0प्र0 नामक संस्था की स्थानपा 24 अप्रैल 1975 को डा0 एम0 एच0 इदरीसी के द्वारा की गयी। जो वर्तमान में उच्च शिखर पर कार्यरत है।

डा0 पी0 के0 राघव ने बताया कि भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का आगमन 19 वीं सदी में हुआ था, सन् 1880 में जर्मन पादरी फादर मूलर एस0 जे0 द्वारा कनकनाडी मंगलूर, कर्नाटक, में इस पद्धति का प्रचार प्रसार प्रारम्भ हुआ।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डा0 आर0 के0 तेवतिया ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति प्रकृति की अनमोल धरोहर है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवायें सस्ती, गुणकारी, विषरहित हानिरहित होती हैं।

इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निम्न लोग उपस्थिति थे सर्वश्री तनवीर अहमद, डा0 आर0 के0 चौधरी, सुरेश कुमार कश्यप, डा0 अमित राघव, डा0 एम0 के0 गौतम, डा0 बी0 एल0 आर्य, डा0 आर0 बी0 सिंह , डा0 संजीव राघव, डा0 एस0 के0 शर्मा, डा0 आर0 पी0 राजोरिया, डा0 सीलेन्द्र, डा0 पूनम तेवतिया, डा0 गायत्री चौहान, डा0 ऐ0 के0 त्यागी, डा0 विपिन जैन, शिखर तेवतिया, डा0 रमा गौतम, डा0 विनोद कुमार, डा0 शमीम आदि।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के 45वें स्थापना दिवस पर डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा डा0 एम0 एच0 इदरीसी को माल्यार्पण करते हुये–छाया गजट

वलीदपुर में भी स्थापना दिवस मनाया गया

मऊ – स्थानीय वलीदपुर, जपनद मऊ स्थित वलीदपुर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेन्टर पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 का 45 वां स्थापना दिवस धूम धाम से मनाया गया, स्टडी सेंटर के इन्चार्ज डा0 अयाज़ अहमद ने बताया कि बोर्ड की स्थापना 24 अप्रैल, 1975 को कानपुर में हुयी थी जिसके चेयरमैन डा0 मो0 हाशिम इदरीसी साहब चुने गये जो आज भी कार्यरत हैं बोर्ड अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद अभी भी अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चल रहा है

राष्ट्रीय हरित अधिकरण से नहीं बचेंगे चिकित्सक

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में 5–4–2019 को आहूत बैठक के निर्णयानुसार प्रदेश में स्थापित चिकित्सालयों, नर्सिंग होमों, क्लीनिकों को अब प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है, इस आशय का पत्र महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त निदेशक एवं प्रमुख/मख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त अन्य चिकित्सालयों तथा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को 5 अप्रैल 2019 को जारी किया जा चुका है।

बायोमेडिकल वेस्ट नियमावली के अनुसार चिकित्सा सेवा देने वाले समस्त संस्थान जहाँ चिकित्सकीय कचरे का उत्सर्जन होता है उन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्देशानुसार राज्य के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से पंजीयन/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा, यदि चिकित्सकीय संस्थान ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश की अवमानना मानी जायेगी।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति नहीं है इसलिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां यथः एलोपैथी, आयुर्वेदिक,यूनानी, होम्योपैथी, नेचरोपैथी व सोआ रिग्पा पर ही यह निर्देश सीधे लागू होते हैं चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक भी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों की भांति प्रैक्टिस करते हैं और इसे पूर्ण मान्यता तो नहीं है परन्तु चिकित्सा और शिक्षा हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों से संरक्षण प्राप्त है अतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों/चिकित्सालयों को भी राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के 45वें स्थापना दिवस पर श्री मो0 वसीम इदरीसी महात्मा मैटी को माल्यार्पण करते हुये

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 को विधि सम्मत संस्था मानते हुए दिनांक 4 जनवरी, 2012 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा, राजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु आदेश जारी किया इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों तथा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिनांक 2 सितम्बर 2013 एवं 14 मार्च 2016 को पत्र जारी कर शासन के निर्देशानुसार अनुपालन करने के लिए आदेश जारी किये हैं, विदित हो कि डा0 अयाज़ अहमद बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के सदस्य हैं यह सदैव इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उत्थान के साथ– साथ बोर्ड की प्रगति के भी पक्षधर रहते हैं। कार्यक्रम में सर्वश्री डा0 सुकरूद्दीन, डा0 निसार अहमद, डा0 नन्दलाल, डा0 अयाज़ अहमद, डा0 ओमप्रकाश, सलाहउद्दीन जमाली, आलमगीर खान, मास्टर एहसान, अबुलकैश, विजयकुमार, आलोक कुमार आदि उपस्थित थे।

अलीगढ़ एवं मऊ के अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी स्थापना दिवस मनाये जाने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के 45वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वलीदपुर जनपद मऊ में पर डा0 अयाज़ अहमद द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ –छाया गजट